न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2020

दायर तारीख :– 01-10-2020

1. सन्तराम बलाई पुत्र श्री बींजाराम जाति बलाई निवासी लुहाकना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—: *प्रार्थी*

बनाम

1. राजऋषि पुत्र मंजू शेखावत पत्नि उदय सिंह
2. विजेता पुत्री मंजू शेखावत पत्नि उदय सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी प्लॉट नंबर 134 लक्ष्मण कॉलोनी श्यामनगर सोडाला जयपुर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— *अप्रार्थीगण*

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 06.01.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम दौल्यापुर के हाल आराजी खसरा नम्बर 138/1.47, 140/1.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर का हिस्सा 1/6 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076–2079 है। यह है कि प्रार्थी का कदीमी से दोलापुर तहसील विराटनगर के खसरा नंबर 102 रकबा 1.50 व खसरा नंबर 97/1268 रकबा 2.42 हैक्टेयर में से कदीमी से रास्ता रहा है इसी रास्ते से प्रार्थी अपने काश्त की भूमि एवं उसमें बने हुए आवास पर सदैव से आता जाता है जो रास्ता उत्तर–दक्षिण सडक लुहाकना से जानी वाली रास्ते पर खुलता है। यह है कि खसरा नंबर 102 जिन लोगों के नाम है वह जाति राजपूत से है, जिन्होने अपने खाता संख्या 56 जिसमें दर्ज खातेदारान ने उक्त भूमि को दिनांक 23.08.2006 को मंजू शेखावत पत्नि उदय सिंह को विक्रय कर दिया है। यह है कि दिनांक 23.08.2006 को खसरा नंबर 102 को विक्रय करने के बाद उपरोक्त रजिस्ट्री का खाता अभी नहीं खुला है क्योंकि प्रार्थी को पता चला है कि मंजू शेखावत का स्वर्गवास हो गया है व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसके पुत्र व पुत्री है। तथा प्रार्थी अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

के खसरा नम्बर 102 व 97/1268 में 4 मीटर चौडाई में रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। अतः निवेदन है कि खसरा नंबर 138 में जाने के लिए ग्राम दौल्यापुर के खाता संख्या 56 में दर्ज खसरा नंबर 102 व खसरा नंबर 97/1268 में रास्ता 4 मीटर चौडाई का दिलवाया जाने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम दौल्यापुर, नकल जमाबन्दी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 76 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी ग्राम दौल्यापुर खाता संख्या 1 संवत् 2076–2079, नकल जमाबन्दी दौल्यापुर खाता संख्या 56 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति विकय पत्र आदि पेश किये।
3. पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।
5. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता संख्या 76 में दर्ज खसरा नम्बरान 138/1.47, 140/1.17 हैक्टेयर में हिस्सा 1/6 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 102/1.50, 97/1268/2.42 हैक्टेयर की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 102/1.50, 97/1268/2.42 हैक्टेयर की भूमि मे से है।
7. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त प्रस्ताव में कथन रहे कि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 138 में जाने के लिए रास्ता खसरा नंबर 102 व 97/1268 में से है। खसरा नंबर 102 में रास्ते का रकबा 78 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चोडाई अर्थात 312 वर्गमीटर है एवं खसरा नबर 97/1268 में 50 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौडाई अर्थात 200 वर्गमीटर का रकबा बनता है, जो मौके पर चालू है। खसरा नंबर 97/1268 सिवाचयक(राजस्थान सरकार) के खाते में है एवं खसरा नंबर 102 खाता संख्या 56 में मोहन कंवर वगैरह के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है।
8. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 102 में 78 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चोडाई अर्थात 312 वर्गमीटर है एवं खसरा नबर 97/1268 में 50 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौडाई अर्थात 200 वर्गमीटर का कीमतन रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में गई भूमि की प्रतिकार राशि का संबंध है, प्रार्थी देने को तैयार है, इसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाना उचित है कि डीएलसी दर अनुसार गणना कर, डीएलसी दर की दोगुना राशि प्रार्थी से जमा कर उक्त राशि अप्रार्थीगण को अदा करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम दौल्यापुर में स्थित अप्रार्थीगण खातेदारी खेत खसरा नंबर 102/1.50 हैक्टेयर में रास्ता 78 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चोडाई अर्थात 312 वर्गमीटर है एवं खसरा नबर 97/1268/2.42 हैक्टेयर में 50 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौडाई अर्थात 200 वर्गमीटर की भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार प्रार्थी से डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कर इस प्रतिकार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोके। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)